

(1) सिविल अपील क्रमांक: 14 / 14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 14 / 14
संस्थापन दिनांक 11.08.2011
फाइलिंग नं-230303001022011

1. रामनरेश पुत्र गनपति प्रसाद, आयु-57 साल,
निवासी ग्राम रसनौल, परगना गोहद, जिला भिण्ड।
-----अपीलार्थी / प्रतिवादी

बनाम

1. गजाधर प्रसाद **(मृत), वारिसान:-**

- (अ) मुन्ना उर्फ रामलखन, पुत्र-गजाधर प्रसाद,
उम्र 53 साल,
(ब) पप्पू उर्फ राधेश्याम, पुत्र-गजाधर प्रसाद,
आयु-60 साल,
(स) श्रीमती जानकीबाई वेवा पत्नी गजाधरप्रसाद,
आयु-60 साल, निवासीगण ग्राम रसनौल,
परगना गोहद, जिला भिण्ड।
(द) श्रीमती मिथलेश पुत्री-गजाधरप्रसाद,
पत्नी-नरेन्द्र मिश्रा, निवासी ग्राम सर्वा,
परगना गोहद, जिला भिण्ड.....मूल प्रत्यर्थी / वादीगण

2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, भिण्ड
-----तरतीवी प्रत्यर्थी / वादी

अपीलार्थी द्वारा श्री भगवती राजोरिया अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी क0 1 अ, ब, स, द की ओर से श्री शिवनाथ शर्मा अधिवक्ता।

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला भिण्ड
द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-55 ए/2009 ई.दी. में पारित निर्णय
दिनांक 30/06/2011 से उत्पन्न सिविल अपील।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 10 जुलाई 2014 को घोषित किया गया)

96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 55 ए/2009 में प्रदत्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 30/06/2011 से विछुब्द होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादीगण के वाद को निरस्त किया गया है ।

02 प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम व मौजा रसनौल तहसील गोहद के सर्वे क्रमांक-590, 595 से 597 की भूमि वादी/प्रत्यर्थी गजाधर प्रसाद और केशवप्रसाद व श्रीप्रसाद की संयुक्त है । विवादित सर्वे क्रमांक-593 जिसका पुराना नंबर-366 वर्तमान रकवा 11 विस्वा एवं सर्वे क्रमांक-594 पुराना नंबर-383, जिसका वर्तमान रकवा 12 विस्वा है, वह पूर्व में शासकीय भूमि होकर चरनोई के रूप में थी, जिसका छोटेलाल पुत्र दुर्गा कोरी को शासकीय पट्टा हुआ । यह भी निविवादित है कि वादी/प्रत्यर्थी की भूमियां पास-पास में हैं और दावा पूर्व में प्रतिवादी/अपीलार्थी रामनरेश द्वारा सीमांकन कराया गया है ।

03- विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक-1 का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि मौजा बांके रसनौल परगना गोहद जिला भिण्ड में सर्वे क्रमांक 590 रकवा 3.36 रकवा0.06, 597 रकवा 0.05, 593 रकवा 0.11, 594 रकवा 0.24 आधे यानि 12 विस्वा का मोके पर करीब 18-19 बीघा का इकजाई खेत है। जिस पर वह 40 सालों से खेती कर रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वे नं 593 रकवा 0.11 एवं 594 रकवा 0.24 के आधे भाग पर पश्चिम दिशा का विवाद है, जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जावेगा। सर्वे नं0 593 का बंदोवस्त पूर्व क्रमांक 336 एवं 594 का 383 था जो शासकीय चरनोई थी उक्त भूमि का रकवा 0.11 एवं 2 बीघा 8 विस्वा जमीन (शासकीय) वादी के स्वामित्व के खेत में मिली है, जिस पर वादी का कब्जा है। दिनांक 15.06.09 को प्रतिवादी ने धौंस दी कि वह उक्त भूमि पर खेती करेगा। इस पर उसने दिनांक 02.07.09 एवं 04.07.09 को नकल प्राप्त की तो पता चला कि प्रतिवादी ने गलत रूप से अपना नाम दर्ज करा लिया है।।

04. विवादित भूमि शासकीय भूमि थी जिसका पट्टा छोटेलाल को दिया गया था, बिना कलेक्टर की अनुमति उसे विक्रय नहीं किया जा सकता है, जो विक्रय पत्र प्रतिवादी ने कराया है वह शून्य एवं प्रभावहीन है। इसके आधार

पर कोई कब्जा नहीं दिया गया है। वादी शासन व छोटेलाल की जानकारी में उक्त भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है। अतः दावा पेश कर प्रतिवादी के हक में किए गये विक्रय पत्र को निस्वत्व एवं प्रभावहीन घोषित किए जाने तथा वादी को विवादित भूमि से बेदखल न किए जाने की संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने की प्रार्थना की गई।

05. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने अपने जवाब में यह व्यक्त किया है कि विवादित भूमि पर वादी का हिस्सा आधा ,केशव पुत्र जाहरसिंह, श्रीप्रसाद पुत्र रामरतन का आधा हिस्सा भूमिस्वामी व अधिपत्य का था। उस पर वादी को 40 सालों से कब्जा होना गलत है। इस पर कुछ समय केशव प्रसाद व कुछ समय श्रीप्रसाद बारी-बारी से खेती करते रहे हैं और कुछ समय वादी ने भी खेती की है। उस पर वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा। क्रय दिनांक से प्रतिवादी का कब्जा है। इसके पूर्व उक्त भूमि चरनोई की थी। वादी के हक में विक्रयपत्र वैधानिक रूप से किया गया है। अतः दावा सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

06. प्रतिवादी क्रमांक -2 के विरुद्ध विचारण न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

05— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर बादप्रश्नों की रचना की और विचारण करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत गुणदोषों पर आलोच्य निर्णय पारित कर प्रतिवादी/अपीलार्थीगण का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील पेश की गई।

06— वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील ज्ञापन में यह आधार लिया गया है कि विद्वान अधी० न्या० ने अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया और कोई दस्तावेज पेश न होने से वाद निरस्त कर दिया। साक्ष्य को नजर-अंदाज कर गलत तरीके से उसका वाद निरस्त किया है। प्रतिवादी के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी न करने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने वादी का कब्जा दीर्घ काल से होना गलत माना है। विचारण न्यायालय ने जिन आधारों पर वाद निरस्त किया है वे सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। इसलिए अधी० न्यायालय का आलोच्य निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जावे।

07— उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :—

- (1)— क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्र-55/2009 ई. दी.में दिनांक 30/6/11 को पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री प्रकरण में आयी साक्ष्य एवं विधि के सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित न होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?
- (2) क्या अपील स्वीकार की जाकर प्रतिवादी/अपीलार्थी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है ?

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

08. विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

09. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया । विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन से प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन का बिन्दु अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रारंभिक स्तर पर वादोत्तर के माध्यम से उठाया गया था और वादोत्तर की कंडिका-10 एवं विशेष आपत्ति कंडिका-13 में इस संबंध में अभिवचन किए गये कि प्रकरण में सह हिस्सेदार रामेश्वरदयाल, केशवप्रसाद, रामरतन के वारिस श्रीप्रसाद सर्वे क्रमांक-590, 596 व 597 में सहस्वामी हैं, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने निर्मित वादप्रश्न क्रमांक-4 के निष्कर्ष में यह उल्लेखित किया है कि प्रश्नगत भूमि पर वादी का कब्जा होना प्रमाणित नहीं पाया गया है । ऐसे में सह खातेदार प्रकरण के लिए आवश्यक पक्षकार नहीं है, किन्तु वादोत्तर में शासकीय पटटेदार छोटेलाल को पक्षकार नहीं बनाये जाने की भी आपत्ति ली गयी थी और शासन को आवश्यक पक्षकार होने का अभिवचन भी किया गया था । इसके संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया और वादप्रश्न क्रमांक-4 को “अप्रमाणित” निर्णीत

किया । इसके संबंध में अपीलार्थी की ओर से जो लिखित और मौखिक तर्क किए गये हैं, उसमें भी शासन और पट्टेदार छोटेलाल को आवश्यक पक्षकार बताया गया है, जिसका प्रत्यर्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में विरोध किया गया है ।

10. मूल अभिलेख के परिशीलन करने पर वादी/प्रत्यर्थी गजाधर द्वारा जो मूल वाद पेश किया गया, उसमें वादपत्र की कंडिका-2 में वादग्रस्त भूमि चरनोई की शासकीय बतायी और कंडिका-4 में उक्त विवादित भूमि सर्वे क्रमांक-593 के पूरे रकवे एवं 594 के आधे पश्चिमी रकवे पर अपना आधिपत्य और काश्त बताते हुए छोटेलाल द्वारा अवैधानिक रूप से पट्टा कराया जाना और कलेक्टर की अनुमति के बिना प्रतिवादी को विक्रय किया जाना बताते हुए तथाकथित विक्रयपत्र को शून्य व प्रभावहीन घोषित किए जाने की प्रार्थना की गयी थी । सिविल वाद में प्रतिवादी के रूप में कौन संयोजित किया जा सकता है, इस बाबत स्पष्ट प्रावधान आदेश 1 नियम 3 सी.पी.सी. में किये गये हैं, जिसके मुताबिक वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहाँ, —

(क) एक ही कार्य या संव्यवहार या कार्यो या संव्यवहारों की आवली के बारे में उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का कोई अधिकार उनके विरुद्ध संयुक्ततः या पृथक्तः या अनुकल्पतः वर्तमान होना अभिकथित है; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक्-पृथक् वाद लाए जाते हों, विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता ।

11. आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी. के उपबंध मुताबिक कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण बिफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के, जो उसके वस्तुतः समक्ष हैं, अधिकारों और हितों का संबंध है : । उक्त प्रावधानों में यह परंतुक भी है कि इस नियम पर कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होती । अर्थात् जहां किसी वाद में आवश्यक पक्षकारों का असंयोजन पाया जाये, वहां वाद सफल नहीं हो सकता है और आदेश 10 नियम 2 सी.पी.सी. के तहत कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी पक्षकार के

आवेदनपत्र पर या उसके बिना ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, प्रतिवादी के रूप में किसी व्यक्ति को संयोजित किए जाने, हटाये जाने का निर्देश दिया जा सकता सकता है । उक्त वैधानिक स्थिति के संबंध में वर्तमान प्रकरण को देखा जाये तो प्रकरण में जहां एक ओर विवादग्रस्त भूमि जो कि मूलतः शासकीय भूमि थी, उसका विवाद है, जो कि दोनों ही पक्ष छोटेलाल पुत्र दुर्गे कोरी को पट्टे पर शासन द्वारा दिया जाना मानते हैं, किन्तु वादी/प्रत्यर्थी गजाधरप्रसाद द्वारा छोटेलाल को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, जबकि वादपत्र के अभिवचनों मुताबिक उसके शासकीय पट्टे को भी चुनौती दी गयी और उसके द्वारा प्रतिवादी को बयनामा किये जाने को भी वैधानिक चुनौती दी गयी ।

12. ऐसे में छोटेलाल पुत्र दुर्गे कोरी प्रकरण के लिए आवश्यक पक्षकार था, क्योंकि पट्टे के तहत उसका विवादित भूमि पर कब्जा प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, उसके द्वारा पट्टा नियमानुसार कराया गया या अवैधानिक तरीके से कराया गया और बयनामा किया गया या नहीं किया । यदि प्रतिवादी/अपीलाथी रामनरेश को बयनामा किया तो क्या वह विधिक दृष्टि से उचित है या नहीं ? इन बिन्दुओं पर छोटेलाल को सुनवाई का अवसर दिये बिना उसके पट्टे के संबंध में या उसके आधिपत्य के संबंध में या हक के संबंध में कोई भी निष्कर्ष साम्या (प्रिंसीपल ऑफ इक्यूटी) के सिद्धांत के तहत आवश्यक था, जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है और इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक स्थिति को नहीं देखा तथा आदेश 1 नियम 9 सी.पी.सी. के परंतुक पर कोई ध्यान नहीं दिया ।

13. दूसरी ओर वादी/प्रत्यर्थी द्वारा म.प्र. राज्य कलेक्टर जिला भिण्ड को तरतीवी प्रतिवादी अर्थात्तर औपचारिक प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया है और अभिवचनों में यह प्रकट किया है कि शासन के विरुद्ध कोई सहायता नहीं चाही है । इसलिये उसे औपचारिक प्रतिवादी बनाया जा रहा है और धारा-80 सी.पी.सी. का नोटिस और उसकी रसीद प्रदर्श पी.-2 अवश्य पेश की गयी है । किन्तु इस मामले में जिस भूमि का विवाद है, वह भूमि शासकीय चरनोई की रही है और छोटेलाल को पट्टा बताया गया है, पट्टा कृषि प्रयोजन के लिए दिया जाता है जो भूमिहीन कृषकों को दिया जाते हैं । ऐसे में विवादित भूमि के संबंध

में जिस तरह से स्वत्व की घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी, वह म. प्र.शासन को आवश्यक पक्षकार बनाये बिना उपरोक्त प्रावधानों के मुताबिक नहीं दी जा सकती है । इससे प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन का दोष स्पष्ट रूप से पाया जाता है और वादप्रश्न क्रमांक-4 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विधि विरुद्ध होने से अपास्त किया जाता है और इस आधार पर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनर्विचारण के लिए तथा छोटेलाल और म.प्र. शासन को आवश्यक पक्षकार बनाकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणदोषों पर निराकरण के लिए प्रत्यावर्तित किए जाने योग्य है, क्योंकि वादी गजाधर वा.सा.-1 ने अपनी अभिसाक्ष्य में छोटेलाल के पटटे को या भूमि चरनोई घोषित होने पर कोई आपत्ति या कार्यवाही न करना स्वीकार किया है, जबकि उसके विरुद्ध सहायता चाही है और चरनोई भूमि पर पहले से अपना आधिपत्य बताया है ।

14. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में न्याय दृष्टांत **देवीप्रसाद एवं अन्य विरुद्ध नाके तथा अन्य 1975 राजस्व निर्णय पेज-67** अवश्य पेश किया है, किन्तु उक्त न्याय दृष्टांत भूमि वितरण की कार्यवाही में जो व्यक्ति पक्षकार ना हो, उसे उस कार्यवाही के विरुद्ध धारा-50 एम.पी.एल.आर.सी. 1959 के तहत पुनरीक्षण करने संबंध में है, जो इस प्रकरण में उक्त स्थिति में लागू किए जाने योग्य नहीं है ।

15. प्रकरण में वाद मूल्यांकन और न्यायालय शुल्क संबंधी वादप्रश्न क्र. -5 भी वादोत्तर में ली गयी आपत्ति के आधार पर निर्मित किए गये थे । इसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय कंडिका-18 मुताबिक ही वादी के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत कर उचित मूल्यांकन और उचित न्यायालय शुल्क अभिनिर्धारित किया है, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि वादपत्र के अभिवचनों मुताबिक छोटेलाल द्वारा रामनरेश को किए गये बयनामा को चुनौती देते हुए उसे शून्य और निष्प्रभावी घोषित किए जाने की प्रार्थना की गयी और डिक्री भी चाही गयी । किन्तु प्रकरण में अभिवचनों में ना तो बयनामा का कोई विवरण दिया गया है, ना ही यह स्पष्ट है कि कौन सी भूमि का कितने रूपयों में बयनामा हुआ ? कब हुआ ? उसकी दिनांक तक पेश नहीं है । जबकि वादी प्रत्यर्थी, प्रतिवादी/अपीलार्थी के द्वारा आदेश 11 नियम 14 सी.पी.सी. के तहत

मूल बयनामा की मांग पर पेश ना किए जाने की दशा में उसकी उपपंजीयक कार्यालय से प्रमाणित लेकर पेश कर सकता था और उसे साक्ष्य में भी प्रस्तुत करा सकता था । जिसका कोई प्रयास नहीं किया ।

16. ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशपत्रिका दिनांक-26/4/2010 एवं 15/9/2010 के आधार पर कोई प्रतिकूल उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रमाण भार वादी पर ही था, वह जो डिक्री चाहता है, उसके लिए वह अपने आधारों को प्रमाणित और साबित करे। आदेश दिनांक-26/4/2010 के मुताबिक वादी को यह विकल्प भी सुझाया गया था कि वह चाहे तो विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि रजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त कर सकता है ।

17. उक्त वाद में वादी/प्रत्यर्थी के द्वारा जिस बयनामा को चुनौती दी गयी, उसका कोई ना तो सीमांकन किया गया, ना ही उसपर कोई न्यायालय शुल्क अदा किया गया है । हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय मुताबिक प्रतिवादी रामनरेश द्वारा छोटेलाल से कराये गये विक्रयपत्र को पक्ष ना किए जाने के संबंध में निष्कर्ष देते हुए निर्णय कंडिका 19 {3} में उल्लेख भर कर दिया है । उसी पर से डिक्री में भी उल्लेख कर दिया है कि असल बयनामा प्रकरण में पेश नहीं किया गया है, लेकिन उसके द्वारा पूर्व किसी पक्षकार पर होगा, इस बारे में निर्णय होना है, जो कि उचित नहीं ठहराया जा सकता है और इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय को विधिक दृष्टि से निष्कर्ष देना आवश्यक था तथा मूल्यांकन को निष्कर्षित करना था, जिससे न्यायालय शुल्क की स्थिति स्पष्ट होती । ऐसे में वादप्रश्न क्रमांक-5 के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है ।

18. उपरोक्त वादप्रश्न क्रमांक-4 एवं 5 दोनों ही जिस तरह से निर्मित किए गये थे, उन्हें प्रारंभिक वादप्रश्न के रूप में ही निराकृत किया जाना था । तत्पश्चात् गुणदोषों पर कार्यवाही की जाना चाहिये थी, किन्तु उक्त दोनों विधिक प्रश्नों के संबंध में सरसरी तौर पर निर्णीत कर दिये गये हैं, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है और यह भी स्पष्ट डिक्री प्रदत्त नहीं की गयी है कि बयनामे के संबंध में वाद स्वीकार किया गया अथवा अस्वीकार की गयी । जबकि यह सुस्थापित विधि है और स्पष्ट प्रावधान आदेश 20 नियम 6 में दिया

गया है, जिसमें डिक्री की विषय वस्तु के बारे में स्पष्ट प्रावधान है, जिसका भी प्रकरण में अभाव है । ऐसे में प्रदत्त डिक्री इसी आधार पर अपास्त किए जाने योग्य है ।

19. जहां तक मूल विषय वस्तु का प्रश्न है, उसके संबंध में यह देखना होगा कि क्या जो स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री वादी/प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रदत्त की गयी है, वह क्या वैधानिक है ? क्योंकि उसे वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उचित बताते हैं । जबकि उल्लेखित और विस्तृत मौखिक तर्कों में अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उसे हर बिन्दु पर चुनौती दी है, प्रथम सिविल अपील के संबंध में सुस्थापित विधि है और धारा-96 सी.पी.सी. में स्पष्ट उपबंध है कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्यात्मक निष्कर्ष यदि विकृत, विपर्ययस्थ अथवा असमाधानप्रद नहीं हो तो उन्हें अपील में अपास्त नहीं किया जा सकता है । जैसा कि स्वयं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **मांगीलाल एवं अन्य विरुद्ध भागीरथ तथा अन्य 1997 आर.एन. पेज-176** में प्रतिपादित किया गया है तथा **महेश चन्द्र विरुद्ध नगर पालिका मुरैना 1993 भाग-2 एम.पी.वीकली नोट शॉर्ट नोट-216** में भी प्रथम अपीलीय न्यायालय के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शित किया है कि समस्त अंतरिम आदेश प्रथम सिविल अपील की सवीक्षा के अध्ययाधीन होते हैं । अर्थात् अंतिम रूप से निष्कर्षित अंतरवर्तीत आवेदनों के संबंध में अपील में आपत्ति उठायी जा सकती है और उनको निष्कर्षित किया जा सकता है ।

20. इस मामले में इस बिन्दु पर अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से मौके की स्थल निरीक्षण के संबंध में दिये गये आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-26 नियम 9 सी.पी.सी. पर भी तर्क किया गया है, वह आवेदनपत्र स्वीकार योग्य था । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक-16/9/2009 को गलत तरीके से निरस्त कर दिया । न्याय दृष्टांत **चंद्राणी बाई विरुद्ध प्रदीप कुमार 1991 जे.एल.जे. पेज-153** में भी यह मार्गदर्शित किया गया है कि प्रथम सिविल अपीलीय न्यायालय अपील में यह देख सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य को सारहीन आधार पर निरस्त किया है तो उसे वह पलट सकता है, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है । स्थल निरीक्षण के आवेदनपत्र के निरस्ती के

बिन्दुओं को सीमांकन के बिन्दु के साथ ही विश्लेषित करना उचित होगा ।

21. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में वाद प्रस्तुति के पूर्व प्रतिवादी/अपीलार्थी रामनरेश के द्वारा तहसील में सीमांकन हेतु आवेदनपत्र दिया गया था, जो प्रदर्श पी.-7 से स्पष्ट है, जिसके संबंध में प्रदर्श पी.-8 की तहसील न्यायालय की आदेशपत्रिका दिनांक-29/6/2009 है, जिसमें सीमांकन किया था और सीमांकन का राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक-15/6/2009 प्रदर्श पी.-9 के रूप में पेश हुआ है । सीमांकन का पंचनामा प्रदर्श पी.-10 और फील्ड बुक प्रदर्श पी.-11 है, जिसमें यह दर्शित होता है कि मौके पर सीमांकन दिनांक-13/6/2009 को किया गया था, उस सीमांकन से संबंधित राजस्व निरीक्षक, रामस्वरूप मौर्य जिसे वा.सा.-3 के रूप में ग्राह्य किया गया है, उसके संबंध में अपनी अभिसाक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि सीमांकन के समय वादी गजाधर मौजूद नहीं था । उसका लडका मौजूद था और सीमांकन में उसने पेड़ पर से जो रास्ता गया है, उसे मूल स्थान माना और उसके आधार पर सीमांकन किया और रास्ता को सही मानने के संबंध में उसने अन्य बिन्दुओं पर भी जांच की थी, लेकिन उक्त बिन्दुओं का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है । मौके पर उसने अन्य रास्ता भी बताया है, जिसे स्थाई चिन्ह के रूप में उपयोग में लिया गया । माता मंदिर को सीमांकन में आधार नहीं बनाया, जिसे भी वह स्थाई चिन्ह मानता है, मौके की वास्तविक स्थिति का उसे ज्ञान ना होना, इससे ही परिलक्षित होता है, उसे यह जानकारी नहीं है कि मौके पर कोई कब्रिस्तान भी है तथा उसने केवल सर्वे क्रमांक-593, 594 का सीमांकन किया था । अन्य लगे हुए सर्वे नंबरों को नहीं देखा क्योंकि केवल उसी के बारे में आदेश था ।

22. उसके प्रतिवेदन में सर्वे क्रमांक-593 का संपूर्ण रकवा और 594 का आधा रकवा वादी गजाधर के सर्वे नंबर-590 में मिला होना बताया । किन्तु उसे यह पता नहीं है कि किस कड़ी का भाग मिला हुआ है । इससे उक्त राजस्व निरीक्षक के द्वारा की गयी सीमांकन की कार्यवाही को उचित व वैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है और वह भले ही अपीलार्थी रामनरेश के आवेदनपत्र पर हुआ हो, लेकिन उसे विधिक रूप से ग्राह्य नहीं किया जा सकता है ।

23. उक्त राजस्व निरीक्षक के द्वारा वादी/प्रत्यर्थी गजाधर के कब्जे

दर्ज कराने संबंधी दिये गये प्रदर्श पी.-12 के आवेदनपत्र दिनांक-17/9/2006 के आधार पर उसके द्वारा प्रदर्श पी.-13 का जो प्रतिवेदन दिनांक-30/6/209 को दिया गया, जिसमें उसने प्रदर्श पी.-14 का पंचनामा दिनांक-20/6/2009 को बनाया, जिससे यह प्रकट होता है कि उसने प्रदर्श पी.-12 के संबंध में कार्यवाही मौके पर दिनांक-20/6/2009 को की थी, जिसमें उसने जिन साक्षियों के कथन लिये, वह एक पक्ष से संबंधित प्रतीत होते हैं । क्योंकि उसने प्रदर्श पी.-15 का कथन रामेश्वरदयाल का लिया, जो कि वर्तमान मामले में भी वादी साक्षी क्र.-2 है तथा प्रदर्श पी.-16 का कथन राधेश्याम का लिया, जो वादी गजाधर का ही पुत्र है और प्रदर्श पी.-17 के रूप में गांव के पंकज जादौन का कथन लिया, जो कि तत्समय केवल 25 वर्ष का था । ऐसे में वा.सा.-3 रामस्वरूप मौर्य आर.आई. की प्रदर्श पी.-7 लागूत-पी.-17 की कार्यवाही कतई वैधानिक नहीं है और उसकी स्वयं के अभिसाक्ष्य से उसका खण्डन होता है और उसे आधार नहीं बनाया जा सकता है ।

24. सीमांकन के संबंध में प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **जगदीश प्रसाद विरुद्ध म.प्र. राज्य 2009 भाग-2 एम.पी.जे.आर. पेज-234** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शित किया गया है कि सीमांकन करने के पहले आर.आई. को स्थाई चिन्ह अभिनिश्चित करना ही चाहिये और ऐसे स्वत्व अभिचिन्हों के अभाव में विवादित संपत्ति की नाप तीन तरफ से की जाकर सही सीमा चिन्ह अभिनिश्चित करना चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सीमांकन दूषित होगा । प्रदर्श पी.-9 के सीमांकन प्रतिवेदन में इस बिन्दु का अभाव नजर भी आता है और उससे वादी/प्रत्यर्थी लाभ नहीं ले सकता है, ना उसका अविलंब ले सकता है इसलिये यह बिन्दु भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दृष्टिओझल आलोच्य निर्णय में किया गया है ।

25. दस्तोवजी साक्ष्य के रूप में वादी/प्रत्यर्थी द्वारा जो अन्य दस्तावेज पेश किए गये हैं , उनमें प्रदर्श पी.-3 का खसरा संवत् 2031 से 2035 पूर्व सर्वे क्रमांक-366 संबंधी है और प्रदर्श पी.-4 का खसरा इसी अवधि का पूर्व सर्वे क्रमांक-383 संबंधी है, दोनों में ही चरनोई भूमि का उल्लेख है और छोटेलाल का कब्जा होना दर्शाया गया है । वादी/प्रत्यर्थी का उक्त विवादित भूमि पर आधिपत्य अंकित नहीं है और ऐसी स्थिति में न्याय दृष्टांत **महेन्द्र**

रामखिलावनदास विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम.पी.—2008 भाग—2 एम.जी. जे.आर. एस.सी. पेज—300 में यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा—117 एम.पी.एल.आर.सी. के उपबंध के तहत खसरा प्रवृष्टि सही होने की उपधारणा होगी । यदि उसमें अधिपत्य का उल्लेख है जैसा कि छोटेलाल के संबंध में है । ऐसे में वादी/प्रत्यर्थी का यह मूल आधार कि उसका विवादित भूमि पर आधिपत्य 40 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है, खण्डित हो जाता है ।

26. यह सही है कि खसरा प्रवृष्टि के विरुद्ध यदि सुदृण साक्ष्य हो तो उसे खण्डित माना जा सकता है, लेकिन इस मामले में वादी गजाधर वा.सा.—1 ने जो मौखिक साक्ष्य दी है, उसमें मुख्य परीक्षण तो वादपत्र के अनुरूप है किन्तु प्रतिपरीक्षा में उसे वास्तविक तथ्यों की जानकारी नहीं है और वह अपना मुखिया रामरतन को होना बताता है । यह भी उसने बताया है कि जमींदारी समाप्ति के बाद उसने व शामिल खातेदारों ने खेत जोता था तथा उसने कभी सीमांकन नहीं कराया । केशवप्रसाद के द्वारा खेत जोतना वह बताता है, जो करीब 20 साल तक उसका खेत शामिलाली बताता था । ऐसे में केशवप्रसाद प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण साक्षी हो सकता था, जिसे वादी/प्रत्यर्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है । अर्थात् वादी ने सर्वोत्तम साक्ष्य पेश नहीं की, जबकि विधि अनुसार वाद आधारों को प्रमाणित करने का भार उसी पर था और इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **रामप्रकाश विरुद्ध हरीराम 1992 भाग—1 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट—185 एवं स्कोपिप्स विरुद्ध शांतिकुमार 1988 एम.पी. वीकली नोट शॉर्ट नोट—195** अवलोकनीय है । जिसमें यह मार्गदर्शित किया गया है कि वादी को अपना वाद स्वयं के सामर्थ से प्रमाणित करना होता है, वह प्रतिवादी की कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है, जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है और इस मामले में प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा बताया गया मूल बयनामा पेश ना करने का प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जा सकता है ।

27. ऐसे में वा.सा.—1 की साक्ष्य से वाद आधार प्रमाणित नहीं होते हैं, उसकी अभिसाक्ष्य में वादकारण के संबंध में भी महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति आयी है कि विवादित जमीन जोतने के संबंध में प्रतिवादी से दावा दायरी के पूर्व उसका

कोई झगडा कब्जे को लेकर नहीं हुआ, जबकि वादपत्र में जो वादकारण दिनांक-15/6/2009 को बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि प्रतिवादी ने उसे विवादित भूमि पर खेती करने की धमकी दी थी, जिसका वह स्वयं समर्थन नहीं कर रहा है। ऐसे में वादपत्र के अभिवचनों और वादी की साक्ष्य में विरोधाभास की स्थिति है और प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **गनेशप्रसाद विरुद्ध श्रीनाथ 1986 एम.पी. वीकली नोट -193** में यह स्पष्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां साक्ष्य और अभिवचन विरोधाभासी हों तो उन्हें ग्रहण नहीं किया जा सकता है और ना ही इस आधार पर वाद डिक्री हो सकता है तथा **मूलचन्द्र विरुद्ध राधाशरण एवं अन्य 2006 भाग-2 एम.पी. जे.आर. पेज-600** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि अभिवचन साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है, जो भी सर्वमान्य है और प्रकरण में प्रयोज्य किए जाने योग्य है, क्योंकि वादी/प्रत्यर्थी के अभिवचन प्रमाणित नहीं हुए हैं।

28. जहां तक रामेश्वरदयाल वा.सा.-2 की साक्ष्य का प्रश्न है, मुख्य परीक्षण में तो वह वादी/प्रत्यर्थी का समर्थन करता है, किन्तु प्रतिपरीक्षा पैरा-4 में वह यह कहता है कि जिस जमीन को वह गजाधर की बता रहा है, उसे पहले रामरतन जोतते थे, लेकिन उसके सर्वे क्रमांक उसे पता नहीं है। उसने छोटेलाल से कुछ रकवा लिया है अर्थात् खरीदा है, जो विवादित भूमि से लगा हुआ है। जिसका भी उसे सर्वे क्रमांक याद नहीं है। ऐसे में उसकी हितबद्धता वादी से परिलक्षित होती है। जैसाकि अपीलार्थी की आपत्ति भी है और वह तो अपने पैदा होने के समय से वादी गजाधर का खेती जोतना बताता है।

29. यह साक्षी इस कारण भी विश्वसनीय नहीं था कि उसे प्रदर्श पी.-14 के सीमांकन प्रतिवेदन मुताबिक वादी के कब्जा दर्ज कराने संबंधी कार्यवाही में मौके पर जांच का साक्षी बताया गया था, जिसने उसका कोई समर्थन नहीं किया और स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके सामने कोई सीमांकन नहीं हुआ। प्रदर्श पी.-14 पर डी से डी एवं प्रदर्श पी.-10 उसने अपने हस्ताक्षरों से भी इंकार किये। जो अपीलार्थी/प्रतिवादी के सीमांकन का पंचनामा है। वा.सा.-1 से प्रश्न-उत्तर के माध्यम से जो तथ्य आये हैं, उससे भी कब्जे की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है क्योंकि उसे यह जानकारी नहीं है कि प्रतिवादी दावा दायरी के पहले जितने भू भाग पर काबिज थे, उतने पर भी वर्तमान में है या नहीं।

30. ऐसे में अभिलेख पर वादी के परस्पर प्रतिवादी की साक्ष्य अधिक प्रबल है । हालांकि प्र.सा.-3 के रूप में अनिल कुमार का शपथपत्र पेश किया गया था, लेकिन प्रतिपरीक्षा के लिए वह उपस्थित नहीं हुआ, इसलिये उसका कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा और रामनरेश प्र.सा.-1 तथा महेशचन्द्र प्र.सा.-2 की साक्ष्य बयनामा पर आधारित है, लेकिन बयनामा अभिलेख पर ही नहीं है, इसलिये उनकी साक्ष्य का कोई विधिक मूल्य नहीं है । लेकिन इससे वादी का वाद डिक्री नहीं हो सकता है । क्योंकि प्रमाण भार वादी पर ही है ।

31. ऐसे में जिन आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया था, वे गुणदोषों पर भी स्वीकार योग्य नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय उक्त परिस्थितियों में अपास्त किए जाने योग्य है तथा प्रकरण में छोटेलाल और म.प्र. शासन आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किए जाकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः निराकरण करने हेतु मामला प्रत्यावर्तित किए जाने योग्य पाया जाता है । प्रतिवादी के प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी.-1 लगायत डी-4 धारा-250 एम.पी.एल.आर.सी. की कार्यवाही संबंधी है, जिनका निष्कर्ष निकालने की इस प्रकरण में आवश्यकता नहीं है और अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत **राधारानी एवं अन्य विरुद्ध राजस्व मंगल 1977 आर.एन. शॉर्ट नोट-406** इस संबंध में है कि अतिक्रामक का कब्जा निरर्थक होता है, जो कि ठीक है, किन्तु इस मामले में वास्तव में कोई अतिक्रामक है या नहीं । यह उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है, जबकि शासन और छोटेलाल का पक्ष सामने ना आ जाये तथा **बोन्डर सिंह विरुद्ध निहाल सिंह 2003 भाग-4 एस.सी.सी. पेज-161** प्रतिकूल आधिपत्य के संबंध में है और प्रतिकूल आधिपत्य बाबत ना तो कोई वादप्रश्न है, ना ही उसे सुदृण रूप से लिया गया है इसलिये इस संबंध में निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है ।

32. इस प्रकार से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री कतई विधि एवं तथ्यों पर आधारित ना होकर दूषित है और मामले में पुनः विचारण की आवश्यकता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांकित 30/6/2011 को अपास्त किया जाता है और मामला इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को

प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में वादी/प्रत्यर्थी गजाधर, छोटेलाल और म.प्र. शासन को आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित कर वादपत्र में विधिवत संशोधन करते हुए पक्षकार बनाये और उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अधीनस्थ न्यायालय पुनः गुणदोषों पर विधि अनुसार निराकरण करे ।

33. उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में भाग लेने हेतु दिनांक-21/7/2014 को स्वयं अथवा अधिवक्ता के मारफत् उपस्थित रहें । अधीनस्थ न्यायालय शीघ्रातिशीघ्र उनका निराकरण करने का प्रयास करें ।

तदनुसार डिक्री तैयार हो ।

दिनांक- 10/7/2014

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
एवं दिनांकित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

सही/—

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही/—

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)